

कोटेशन सूचना

Quotation Notice

विषय:- शिशुरोग विभाग की गहन चिकित्सा इकाई हेतु MGPS एवं CSL के Extension/उन्नयनकार्य हेतु दर प्रस्तुत करने बाबत।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) के शिशुरोग विभाग की गहन चिकित्सा इकाई हेतु MGPS एवं CSLके Extension/उन्नयन हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रारूप में ही कोटेशन प्रस्तुत करे :-

DETAILS OF ITEMS & OTHER CHARGES FOR MGPS & SUCTION LINE EXTENSION WORK FOR NICU						
S.NO	ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	Base Price	Tax	Total Price with taxes
1	22 mm Copper Pipe	120	FEETS			
2	12 mm Copper Pipe	75	FEETS			
3	Oxygen outlet Points	10	PIECES			
4	Vacuum outlet points	5	PIECES			
5	Bed head panel	5	PIECES			
6	22 mm isolation valves	2	PIECES			
7	12 mm isolation valves	2	PIECES			
8	2 GAS ALARMS	1	PIECES			
9	Monitor stand	5	PIECES			
10	Vacuum slider	5	PIECES			
11	SS medicine basket	5	PIECES			
12	BPC flow meter	7	PIECES			
13	Vacuum 600 ml jar	7	PIECES			
14	Installation, commissioning & certification charges	Complete work				

NOTE-INSTALLATION, COMMISSIONING & CERTIFICATION TO BE DONE BY BIDDER,REQUIRED COLOR CODING-O2 PIPELINE (GREEN) VACUUM PIPELINE (RED) .


अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। सामाग्रियों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।

नियम एवं शर्त:-

1. आदेश जारी होने के पश्चात् 30 दिवस के भीतर ही सामाग्रीयाँ प्रदाय कर कार्य पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
2. लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम अंकित होना चाहिए।

Jayant

3. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करें। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
4. कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण/पैन नम्बर विवरण प्रस्तुत करें साथ ही फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
5. किसी भी फर्म की कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी।
6. पश्चात संबंधित मानक का प्रमाण पत्र (certificate) प्रस्तुत करना होगा।
7. सामग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए, साथ ही जिस कंपनी उल्लेख किया गया है, उसी कंपनी की सामग्री प्रदाय करें एवं वारंटी/गारंटी का भी उल्लेख करें।
8. उक्त सामग्री गुणवत्ता विहिन पाये जाने पर वापस किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
9. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
10. विवाद की स्थिति संस्था प्रमुख का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।




संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/रख-रखाव/CCMGMCH/2023/
प्रतिलिपि:-

दुर्ग, दिनांक/

अधिष्ठाता, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
की ओर सादर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)